हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.46/2020	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

07.7.2022

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी अरुण सिंह पुत्र विंध्याचल सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– प्लाट नं. 101 बिल्डिंग नं. 1 रश्मी हिल वीव, राम रहीम नगर, वसई ईस्ट, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर,, राजपूत जी एण्ड ब्रदर्स, एन.एच. 27, आशापुरा पैट्रोल पंप के पास, गुलाबगंज, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित।

आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.7.2020 को फर्म राजपूत जी एण्ड ब्रदर्स, एन.एच. 27, आशापुरा, पैट्रोल पम्प के पास, गुलाबगंज, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी खाद्य कारोबारकर्ता अरुण सिंह पुत्र विध्यांचल सिंह, राजपूत, निवासी– प्लाट नं. 101, बिल्डिंग नं. 1 रश्मी हिल वीव, राम रहीम नगर, वसई ईस्ट से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का नमूना संख्या S-1142 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./290/Act/2020/290 दिनांक 21.7.2020 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अरुण सिंह को विधिवत नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक से तामिल करवाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही होने के कारण प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.7.2020 को समय 4.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म राजपूत जी एण्ड ब्रदर्स, एन एच 27, आशापुरा पैट्रोल पम्प के पास, गुलाबगंज, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी अरुण सिंह पुत्र विध्यांचल सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– प्लॉट नं. 101 बिल्डिंग नं. 1 रश्मी हिल वीव, राम रहीम नग[illegible] मिले जो आम जनता को मिक्स्ड मिल्क बेचता है। आ[illegible] सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौ[illegible] मिक्स्ड मिल्क के अमानक [illegible] एवं मानक अधिनियम, 2006 [illegible] नूना लेने की इच्छा ज[illegible]

.....लग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:49:15 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.46/2020	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता प्रतिवादी अरुण सिंह को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर चिल्लिंग टैंक में बिक्री हेतु रखे हुए मिक्स्ड मिल्क लगभग 500 लीटर को अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया एवं इस एकरुप किये हुए मिक्स्ड मिल्क में से 2 लीटर मिक्स्ड मिल्क को जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं मिक्स्ड मिल्क की कीमत राशि रुपये 64/– (अक्षरे रुपये चौसठ मात्र) प्रतिवादी अरुण सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाह को चार साफ, सूखे, खाली शीशीयां दिखाई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1142, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी मिक्स्ड मिल्क आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिक्स्ड मिल्क को चारों शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों नमूना शीशीयों में 40–40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना जार पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1142 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सी[illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.7.2020 को नमूनें का [illegible] भा[illegible] फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफा[illegible] कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिका[illegible] के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद [illegible] की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:49:15 IST
Reason: SelfAttested

वरि. जिला अभियोजक
सिरोही–307001.

सिरोही (राज.)

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.46/2020	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 12.7.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म राजपूत जी एण्ड ब्रदर्स, एन एच 27, आशापुरा पैट्रोल पम्प के पास, गुलाबगंज, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता अरुण सिंह से खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से मिक्स्ड मिल्क के नमूना संख्या S-1142 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./290/Act/2020/290 दिनांक 21.7.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी अरुण सिंह पुत्र विध्यांचल सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– प्लॉट नं. 101 बिल्डिंग नं. 1–1 रश्मी हिल वीव, राम रहीम नगर, वसई ईस्ट ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी अरुण सिंह पुत्र विध्यांचल सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– प्लॉट नं. 101, बिल्डिंग नं. 1, रश्मी हिल वीव, राम रहीम नगर, वसई ईस्ट, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, फर्म राजपूत जी एण्ड ब्रदर्स, एन एच 27, आशापुरा, पैट्रोल पम्प के पास, गुलाबगंज, सिरोही, जिला– सिरोही के पास, गुलाबगंज, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी अरुण सिंह को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय [illegible] जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दि[illegible]17.[illegible]22 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:49:15 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज.)